

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
बिलाड़ा, जिला जोधपुर-ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 74/2022

वादीगण :-

1. गोकलराम पुत्र भगवानराम
2. उदाराम पुत्र तुलछाराम
3. जगाराम पुत्र तुलछाराम
4. पतासी पत्नी चुतराराम
5. भानाराम पुत्र चुतराराम
6. बाबुलाल पुत्र चुतराराम
7. रतनाराम पुत्र जसाराम
8. श्रवणराम पुत्र जसाराम
9. नेनाराम पुत्र जसाराम
10. शंकरराम पुत्र धनाराम
11. भवराई पत्नी मलाराम
12. मलाराम पुत्र मीसाराम
13. अणदाराम पुत्र मीसाराम
14. प्रेमराम पुत्र रखाराम
15. दरकी पत्नी उदाराम

जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम बीरावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. प्रतापराम पुत्र चुतराराम
2. रामाराम पुत्र चुतराराम
3. रामसुख पुत्र पुकाराम

जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम बीरावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

4. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।



सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

6. हवली पत्नी तुलछाराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिरावास, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :- वादीगण की ओर से श्री डी.डी.रामावत एडवोकेट।  
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 स्वयं उपस्थित।  
प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार।

निर्णय


दिनांक :- 3/7/24

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है:- प्रार्थी गोकलराम जाति मेघवाल निवासी वीरावास ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें जाहिर किया कि ग्राम वीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 268/3, 492/2 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3978 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 10 पर दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.7686 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 11 पर दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 1.8769 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 76 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 491/3, 492/6, 63/2, 69/3 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.1956 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 77 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 274, 276/1, 346, 349, 462/2, 491/2, 63/1, 69 कुल खसरा 8 कुल रकबा 12.5800 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 165 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 2.2409 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 166 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 483/1, 490/1, 492/12, 63, 69/1 कुल खसरा 5 कुल रकबा 7.3458 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 299 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 4.2877 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 332 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 150/3, 483, 486/2, 490, 492/5, 69/2 कुल खसरा 6 कुल रकबा 7.9362 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 357 पर



सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
जिला

दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.5128 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 358 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 2.5322 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 359 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 491/20 रकबा 0.8090 हैक्टेयर स्थित है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 298 पर दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सयुक्त हिन्दू परिवार के व्यक्ति है तथा हिन्दू विधि से शासित है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के परिवार की जायदाद है जो पक्षकारान के परिवार की आय से अर्जित एवं धारित है। जिस पर पक्षकारान का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। वाद पत्र में वर्णित वंशावली अनुसार पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही पूर्वज नवलाराम जी के वारिसान है तथा उनके परिवार की वादग्रस्त जायदाद पर काबिज है। वादग्रस्त जायदाद के सम्बंध में पक्षकारान में पहले से ही पारिवारिक बंटवाड़ा/समझौता हो रखा था, जो अलिखित था। जिसके कारणवश वादग्रस्त जायदाद उनके बंट माफिक अलग राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं की जा सकी साथ ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज उत्तरातर प्रविष्टियों के दौरान त्रुटिवश खाता संख्या 76 पर दर्ज खसरा नम्बर 141 में पक्षकार वादी संख्या 1 गोकलराम के पिता का नाम भगवानराम के स्थान पर ढाडूराम दर्ज कर लिया गया तथा खाता संख्या 165 के कुल 8 खसरों की भूमि में वादी संख्या 5 भानाराम के स्थान पर उसका नाम मानाराम दर्ज कर लिया गया तथा खाता संख्या 166 पर दर्ज खसरा नम्बर 70 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापराम के पिता चुतराराम के स्थान पर प्रतिवादी प्रतापराम पुत्र प्रतापराम दर्ज कर लिया गया तथा इस भूमि में वादी संख्या 6 बाबूलाल बालिग होने के उपरान्त भी नाबालिग दर्ज है तथा खाता संख्या 332 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 337 में वादी संख्या 1 गोकलराम के पिता का नाम भगवानराम के स्थान पर ढाडूराम दर्ज कर लिया गया तथा खाता संख्या 358 पर स्थित भूमि खसरा नम्बर 343 में वादी संख्या 13 अणदाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर ओगडराम पुत्र मिसाराम दर्ज कर लिया गया तथा वादी संख्या 12 मलाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर मानाराम पुत्र मिसाराम दर्ज कर लिया गया तथा खाता संख्या 359 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 334 में वादी संख्या 1 का नाम गोकलराम पुत्र भगवानराम के स्थान पर गोपालराम पुत्र ढाडूराम दर्ज कर लिया गया एवं वादी संख्या 10 शंकरराम के स्थान पर उसका नाम शंकरलाल दर्ज कर लिया गया तथा खाता संख्या 298 पर वादी संख्या 12 मलाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर मलाराम पुत्र मिसाराम दर्ज कर लिया गया। जिसे वादीगण दुरुस्त करवाकर स्वयं को अपने



सहायक कलक्टर  
एवं उप जयपुर अधिकाारी  
जयपुर

सही नाम के अनुरूप खातेदार घोषित करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है साथ ही वादग्रस्त भूमि में आशिक भूमि में सम्बंधित पक्षकार का नाम भी दर्ज करने से छूट गया है। उस सम्बंध में भी पक्षकार अपने बंट की भूमि में स्वयं को सहखातेदार/खातेदार घोषित करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है एवं इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में बाद दुरुस्ती अंकन करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। माफिक पारिवारिक समझौता/बंटवाड़ा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पक्षकारान ने मौके पर आपसी रजामन्दी से बंट कर लिये है तथा माफिक बंटवाड़ा इकरार खाता संख्या 10 की जमीन खसरा नम्बर 268/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खसरा नम्बर 492/2 रकबा 2.4270 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3978 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 492/2 में से 4 बीघा जमीन वादी संख्या 1 गोकलराम के हिस्से में रखी गयी है शेष जमीन इस खसरे में दर्ज पक्षकारान के नाम यथावत् कायम रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 11 पर दर्ज खसरा नम्बर 272 रकबा 0.7686 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 गोकलराम को 1/2 हिस्सा की भूमि बंट में रखी गयी है। शेष 1/2 हिस्से की भूमि में वादी संख्या 2 व 15 उदाराम व दरकी व वादी संख्या 4 जगाराम का बहिस्सा बराबर-बराबर बंट रखा गया। इसी माफिक खाता संख्या 76 पर दर्ज खसरा नम्बर 141 रकबा 1.8769 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 गोकलराम को 1/2 हिस्से तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 2 उदाराम, वादी संख्या 3 जगाराम पिसरान तुलछाराम के बंट में रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 77 पर दर्ज खसरा नम्बर 491/3, 492/6, 63/2, 69/3 चारों खसरों की कुल 3.1956 हैक्टेयर भूमि में से खसरा नम्बर 63/2 रकबा 0.4854 हैक्टेयर वादी संख्या 3 जगाराम के बंट में रखा गया है तथा खसरा नम्बर 69/3 में 1/2 हिस्से में वादी संख्या 1 गोकलराम तथा 1/2 हिस्से में वादी संख्या 6 बाबूलाल हिस्सेदार रहेंगे। इसी अनुसार उनके बंट में भूमि अलग सुपुर्द कर दी है शेष इस खाते की सम्पूर्ण भूमि वादी संख्या 1 के बंट में बदस्तूर कायम रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 165 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 274, 276/1, 346, 349, 462/2, 491/2, 63/1, 69 कुल आठ खसरों की 12.5800 हैक्टेयर भूमि में से खसरा नम्बर 274 रकबा 1.7960 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 7 रतनाराम, वादी संख्या 8 श्रवणराम, वादी संख्या 9 नैनाराम के हिस्से में तथा 1/2 हिस्सा की भूमि वादी संख्या 4 पतासी, वादी संख्या 5 भानाराम, वादी संख्या 6 बाबूलाल, प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापराम व प्रतिवादी संख्या 2 रामाराम के बंट में रखी गयी है। खसरा नम्बर 276/1 रकबा 0.5663



हैक्टेयर वादी संख्या 5 भानाराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 346 रकबा 2.4513 हैक्टेयर के 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 रामसुख तथा 1/3 हिस्से की भूमि वादी संख्या 8 श्रवणराम तथा 1/3 हिस्से की भूमि वादी संख्या 10 शंकरराम के बंट में रखी गयी है तथा खसरा नम्बर 349 रकबा 1.0274 हैक्टेयर की भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 8 श्रवणराम तथा 1/8 हिस्सा वादी संख्या 10 शंकरराम तथा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 रामसुख व 1/4 हिस्सा वादी संख्या 13 अणदाराम के बंट में रखा गया तथा खसरा नम्बर 491/2 वादीगण संख्या 7 रतनाराम, वादी संख्या 8 श्रवणराम, वादी संख्या 9 नैनाराम के बहिस्सा बराबर-बराबर बंट में रखा गया है। खसरा नम्बर 63/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर को वादी संख्या 5 भानाराम का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 9 नैनाराम का 1/2 हिस्सा बंट में रखा गया है। खसरा नम्बर 69 रकबा 2.2652 हैक्टेयर में से 5 बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 2 रामाराम तथा 5 बीघा जमीन वादी संख्या 7 रतनाराम के बंट में रखी गयी है तथा इस खसरे की शेष भूमि वादी संख्या 2 उदाराम के बंट में रखी गयी है तथा खसरा नम्बर 462/2 रकबा 1.3672 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 7 रतनाराम, वादी संख्या 8 श्रवणराम व वादी संख्या 9 नैनाराम के बंट में तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 रामाराम के बंट में रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 166 पर दर्ज खसरा नम्बर 70 रकबा 2.2409 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापराम के बंट में तथा इस खसरे की शेष बची भूमि में से 5 बीघा जमीन वादी संख्या 7 रतनाराम के तथा इस खसरे के 1/2 हिस्से की भूमि में से 5 बीघा जमीन रतनाराम के बंट की भूमि का समायोजन करने के पश्चात् शेष रकबा की भूमि वादी संख्या 7 रतनाराम, वादी संख्या 8 श्रवणराम, व वादी संख्या 9 नैनाराम के बंट में रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 299 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 483/1, 490/1, 492/12, 63 व 69/1 कुल खसरा 5 कुल रकबा 7.3458 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 483/1 वादी संख्या 14 प्रेमराम, खसरा नम्बर 490/1 व 492/12 वादी संख्या 12 मलाराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 63 के सम्पूर्ण रकबे में से 4 बीघा 10 बिस्वा जमीन वादी संख्या 9 नैनाराम के बंट में तथा शेष बची भूमि वादी संख्या 13 व 14 के बहिस्सा बराबर-बराबर बंट में रखी है। खसरा नम्बर 69/1 में वादी संख्या 13 अणदाराम, वादी संख्या 12 मलाराम, वादी संख्या 14 प्रेमराम पुत्र श्री रखाराम, प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा रखा गया है। इसी माफिक खाता संख्या 332 पर दर्ज खसरा नम्बर 337 रकबा 4.2877 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1




सहायक कमिश्नर

एवं उप सहायक अधिकारी

दिल्ली

गोकलराम के हिस्से में 3 बीघा, वादी संख्या 3 के हिस्से में 5 बीघा, तथा वादी संख्या 5 के हिस्से में 5 बीघा तथा वादी संख्या 13 अणदाराम के 4 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या 12 मलाराम के 4 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या 6 बाबूलाल के 4 बीघा 10 बिस्वा जमीन बंट में रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 357 पर दर्ज खसरा नम्बर 150/3, 483, 486/2, 490, 492/5, 69/2 कुल खसरा 6 कुल रकबा 7.9362 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 492/5 में से 4 बीघा 10 बिस्वा जमीन प्रतिवादी संख्या 3 रामसुख तथा वादी संख्या 10 शंकरराम के बहिस्सा बराबर-बराबर बंट में रखी गयी तथा इस खसरे की शेष भूमि वादीगण संख्या 12 मलाराम, वादी संख्या 13 अणदाराम व वादी संख्या 14 प्रेमराम के बंट में बहिस्सा बराबर-बराबर रखी है। इस खाते में दर्ज अन्य खसरा नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 62/2, 150/3, 483, 486/2 व 490 की भूमि यथावत् प्रतिवादी संख्या 3 रामसुख व वादी संख्या 10 शंकरराम के बहिस्सा बराबर-बराबर बंट में रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 358 पर दर्ज खसरा नम्बर 343 रकबा 1.5128 हैक्टेयर की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 10 शंकरराम व 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 रामसुख के बंट में रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 359 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 2.5322 हैक्टेयर में से वादी संख्या 13 अणदाराम, वादी संख्या 1 गोकलराम, वादी संख्या 12 मलाराम, वादी संख्या 14 प्रेमराम प्रत्येक के 1/4-1/4 हिस्सा (बहिस्सा बराबर-बराबर) बंट में रखी गयी है। इसी माफिक खाता संख्या 298 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 491/20 रकबा 0.8090 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 11 भवराई व वादी संख्या 12 मलाराम, तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 13 अणदाराम तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 14 प्रेमराम के बंट में रखा गया है। इसी माफिक पक्षकारान ने मौके पर वक्त पारिवारिक समझौता पूर्व से ही कब्जा हासिल कर लिया है एवं इसी माफिक मौके पर काबिज है एवं लगान की अदायगी करते आये है। पक्षकारान इसी माफिक स्वयं को खातेदार घोषित करवाने एवं बाद दुरुस्ती राजस्व रेकॉर्ड में माफिक बंट अपना नाम दर्ज करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। पक्षकारान में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में उपरोक्त वाद पत्र के पद संख्या 4 में दर्शाये माफिक बंटवाड़े बाबत पारिवारिक समझौते को पुनः लिखित रूप देने के उपरान्त एवं वादीगण द्वारा उनके बंट माफिक भूमि राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम दर्ज करवाने का कहने के उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 इस सम्बंध में आनाकानी कर रहे है एवं



  
 सहायक कलेक्टर  
 एवं उप खण्ड अधिकारी  
 जयप्रकाश नारायण

उन्होंने इस बाबत वादीगण के हकों को दिनांक 03.06.2022 को इन्कार कर दिया।

अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पक्षकारान के नाम बाबत रेकर्ड दुरुस्ती की जाकर पक्षकारान को वाद के पद संख्या 4 के अनुसार उनके हिस्से भूमि के सम्बंध में पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाकर इसी माफिक माप एवं सीमांकन के आधार पर उन्हें वादग्रस्त भूमि अलग बंटवाड़े में दी जाकर इसी माफिक अन्तिम डिक्री जारी की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल पेश हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा तारीख पेशी दिनांक 12.04.2023 को राजीनामा पेश किया, जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया। राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जावे। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश करने से पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र पर मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि ग्राम बीरावास स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 268/3, 492/2 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3978 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.7686 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 141 रकबा 1.8769 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 491/3, 492/6, 63/2, 69/3 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.1956 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 274, 276/1, 346, 349, 462/2, 491/2, 63/1, 69 कुल खसरा 8 कुल रकबा 12.5800 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 70 रकबा 2.2409 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 483/1, 490/1, 492/12, 63, 69/1 कुल खसरा 5 कुल रकबा 7.3458 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 337 रकबा 4.2877 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 150/3, 483, 486/2, 490, 492/5, 69/2 कुल खसरा 6 कुल रकबा 7.9362 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 343 रकबा 1.5128 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 334 रकबा 2.5322 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491/20 रकबा 0.8090 हैक्टेयर की भूमि हम पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी की कब्जासुदा भूमि है तथा खाता संख्या 76 पर दर्ज खसरा नम्बर 141 में वादी गोकलराम के पिता का नाम ढाडूराम के स्थान पर भगवानराम तथा खाता संख्या



सहायक कलेक्टर  
एवं जय कान्ठ अधिकारी  
जिजाडा

165 के कुल 8 खसरो की भूमि में वादी संख्या 5 का नाम मानाराम के स्थान पर भानाराम तथा खाता संख्या 166 पर दर्ज खसरा नम्बर 70 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापराम के पिता के नाम प्रतापराम के स्थान पर चुतराराम एवं वादी संख्या 6 बाबूलाल के सम्बंध में दर्ज नाबालिग की प्रविष्टि दुरुस्त कर बालिग दर्ज करवाने एवं खाता नम्बर 332 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 337 में वादी संख्या 1 गोकलराम के पिता का नाम ढाडूराम के स्थान पर भगवानराम तथा खाता संख्या 358 पर दर्ज खसरा नम्बर 343 में वादी संख्या 13 ओगडराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर अणदाराम पुत्र मिसाराम तथा वादी संख्या 12 का नाम मानाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर मलाराम पुत्र मिसाराम तथा खाता संख्या 359 खसरा नम्बर 334 में वादी संख्या 1 का नाम गोपालराम पुत्र ढाडूराम के स्थान पर गोकलराम पुत्र भगवानराम तथा वादी संख्या 10 शंकरराम का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम शंकरलाल के स्थान पर शंकरराम दर्ज करवाने एवं खाता संख्या 298 पर वादी संख्या 12 का नाम दुरुस्त कर मल्लाराम पुत्र मिसाराम एवं खाता संख्या 10 में दर्ज हवली पुत्री तुलछाराम के स्थान पर हवली पत्नी तुलछाराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय संगत है।

अतः वादीगण का माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा में स्थित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 76 पर दर्ज खसरा नम्बर 141 में वादी गोकलराम के पिता का नाम ढाडूराम के स्थान पर भगवानराम तथा खाता संख्या 165 के कुल 8 खसरो की भूमि में वादी संख्या 5 का नाम मानाराम के स्थान पर भानाराम तथा खाता संख्या 166 पर दर्ज खसरा नम्बर 70 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापराम के पिता के नाम प्रतापराम के स्थान पर चुतराराम एवं वादी संख्या 6 बाबूलाल के सम्बंध में दर्ज नाबालिग की प्रविष्टि दुरुस्त कर बालिग दर्ज करवाने एवं खाता नम्बर 332 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 337 में वादी संख्या 1 गोकलराम के पिता का नाम ढाडूराम के स्थान पर भगवानराम तथा खाता संख्या 358 पर दर्ज खसरा नम्बर 343 में वादी संख्या 13 ओगडराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर अणदाराम पुत्र मिसाराम तथा वादी संख्या 12 का नाम मानाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर मलाराम पुत्र मिसाराम तथा खाता संख्या 359 खसरा नम्बर 334 में वादी संख्या 1 का नाम गोपालराम पुत्र ढाडूराम के स्थान पर गोकलराम पुत्र भगवानराम तथा वादी संख्या 10 शंकरराम का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम शंकरलाल के स्थान पर शंकरराम दर्ज करवाने एवं खाता संख्या 298 पर वादी



सहायक कलेक्टर  
एवं जिलाधिकारी  
बिलाडा

संख्या 12 का नाम दुरुस्त कर मल्लाराम पुत्र मिसाराम एवं खाता संख्या 10 में दर्ज हवली पुत्री तुलछाराम के स्थान पर हवली पत्नी तुलछाराम घोषित किया जाना उचित है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् व लिखित में बंटवाडा नही होना भी साबित है इसलिए ग्राम बीरावास स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 268/3, 492/2 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3978 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.7686 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 141 रकबा 1.8769 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 491/3, 492/6, 63/2, 69/3 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.1956 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 274, 276/1, 346, 349, 462/2, 491/2, 63/1, 69 कुल खसरा 8 कुल रकबा 12.5800 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 70 रकबा 2.2409 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 483/1, 490/1, 492/12, 63, 69/1 कुल खसरा 5 कुल रकबा 7.3458 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 337 रकबा 4.2877 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 150/3, 483, 486/2, 490, 492/5, 69/2 कुल खसरा 6 कुल रकबा 7.9362 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 343 रकबा 1.5128 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 334 रकबा 2.5322 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491/20 रकबा 0.8090 हैक्टेयर के राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्तानुसार शुद्धि की जाकर वादग्रस्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित हिस्से अनुसार का मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश किया गया।


पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 18.04.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा के द्वारा पत्रांक/भू.अ./पी.डी.पालना/24/511 दिनांक 21.05.2024 को बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा सं.	रकबा(हैक्टे.)	वि.वि.
1.	बाबुलाल पुत्र श्री चुतराराम	337	0.6472	
	जाति मेघवाल सा.देह	274	0.2244	
	खातेदार	69/3	0.6472	
		3	1.5188	

सहायक कलेक्टर  
एवं जय राण्ड अधिकारी  
बिलाडा


2.	रतनाराम पुत्र श्री जसाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	491 / 2	0.3883	
		462 / 2	0.2278	
		274	0.2993	
		70	0.9182	
		69	0.8090	
		<b>5</b>	<b>2.6426</b>	
3.	श्रवणराम पुत्र जसाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	491 / 2	0.3883	
		462 / 2	0.2279	
		346	0.8171	
		349	0.5137	
		274	0.2994	
		70	0.2022	
		<b>6</b>	<b>2.4486</b>	
4.	नेनाराम पुत्र जसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	491 / 2	0.3884	
		462 / 2	0.2279	
		274	0.2994	
		63 / 1	0.9708	
		63	0.7686	
		<b>5</b>	<b>2.6551</b>	
5.	शंकरराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	492 / 5	0.3640	
		483	0.3964	
		490	0.3883	
		490 / 1	0.3843	
		343	0.7564	
		346	0.8171	
		349	0.1284	
		150 / 3	0.1618	
		69 / 3	0.6472	
		<b>9</b>	<b>4.0439</b>	



  
 जयप्रकाश कलेक्टर  
 जयप्रकाश जिला  
 उत्तर प्रदेश

6.	मलाराम पुत्र मिसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 4/5 भंवराई पत्नी मलाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 1/5	492/5	0.9978
		491/20	0.8090
		334	0.6330
		337	0.8495
		69/1	0.7012
	<b>5</b>	<b>3.9905</b>	
7.	गोकलराम पुत्र भगवानराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	492/2	0.8090
		492/6	0.4045
		491/3	1.0113
		334	0.6330
		337	0.4046
		141	1.0678
		272	0.3843
		69/2	0.7726
	<b>8</b>	<b>5.4871</b>	
8.	उदाराम पुत्र तुलछाराम 8/9 दरकी पत्नी उदाराम 1/9 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	492/2	0.8090
		337	0.8696
		141	0.4045
		272	0.1922
		268/3	0.3236
		69	0.6472
	<b>6</b>	<b>3.2461</b>	
9.	जगाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार (खातेदार इमरती पुत्र तुलछाराम फौत)	492/2	0.8090
		337	0.8696
		141	0.4046
		272	0.1921
		268/3	0.3236
		63/2	0.4854
	<b>6</b>	<b>3.0843</b>	



  
 सहायक कलेक्टर  
 एवं उप महानगर अधिखारी  
 पिंपरी

10.	पतासी पत्नी चुतराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	274	0.2247	
		<b>1</b>	<b>0.2247</b>	
11.	भानाराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	276 / 1	0.5663	
		63 / 1	0.9708	
		<b>2</b>	<b>1.5371</b>	
12.	अणदाराम पुत्र मिसाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	492 / 12	0.6472	
		492 / 5	0.3505	
		334	0.6332	
		337	0.6472	
		349	0.2568	
		63	1.1326	
		69 / 1	0.7011	
		<b>7</b>	<b>4.3686</b>	
13.	प्रेमाराम पुत्र रखाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार (खातेदार रखाराम पुत्र मिसाराम फौत के कायम मुकाम)	492 / 5	0.9979	
		483 / 1	0.7928	
		334	0.6330	
		63	1.1326	
		69 / 1	0.7011	
<b>5</b>	<b>4.2574</b>			
14.	प्रतापराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	274	0.2244	
		70	1.1205	
		<b>2</b>	<b>1.3449</b>	
15.	रामाराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	462 / 2	0.6836	
		274	0.2244	
		69	0.8090	
		<b>3</b>	<b>1.7170</b>	



16.	रामसुख पुत्र पुकाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	492 / 5	0.3640	
		483	0.3964	
		490	0.3883	
		490 / 1	0.3843	
		343	0.7564	
		346	0.8171	
		349	0.1285	
		150 / 3	0.1618	
		69 / 2	0.77226	
		9	4.1694	
17.	हवली पत्नी तुलछाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	268 / 3	0.3236	
		1	0.3236	

माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा होने से बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नहीं की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैंसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(मृदुला देवदत्त)  
सहायक जज (उपखण्ड)  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31/12 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला देवदत्त)  
सहायक जज (उपखण्ड)  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा,  
ब इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.  
वादीगण :-

1. गोकलराम पुत्र भगवानराम
2. उदाराम पुत्र तुलछाराम
3. जगाराम पुत्र तुलछाराम
4. पतासी पत्नी चुतराराम
5. भानाराम पुत्र चुतराराम
6. बाबुलाल पुत्र चुतराराम
7. रतनाराम पुत्र जसाराम
8. श्रवणराम पुत्र जसाराम
9. नेनाराम पुत्र जसाराम
10. शंकरराम पुत्र धनाराम
11. भवराई पत्नी मलाराम
12. मलाराम पुत्र मीसाराम
13. अणदाराम पुत्र मीसाराम
14. प्रेमराम पुत्र रखाराम
15. दरकी पत्नी उदाराम

जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम बीरावास, तहसील बिलाडा, जिला  
जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. प्रतापराम पुत्र चुतराराम
2. रामाराम पुत्र चुतराराम
3. रामसुख पुत्र पुकाराम

जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम बीरावास, तहसील बिलाडा, जिला  
जोधपुर राज.

4. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाडा

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

6. हवली पत्नी तुलछाराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिरावास, तहसील  
बिलाडा, जिला जोधपुर राज.



दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :- 74 / 2022

निर्णय

दिनांक :- 31/1/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी0डी0रामावत अधिवक्ता वादी गिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6, प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा में स्थित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 76 पर दर्ज खसरा नम्बर 141 में वादी गोकलराम के पिता का नाम ढाडूराम के स्थान पर भगवानराम तथा खाता संख्या 165 के कुल 8 खसरो की भूमि में वादी संख्या 5 का नाम मानाराम के स्थान पर भानाराम तथा खाता संख्या 166 पर दर्ज खसरा नम्बर 70 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापराम के पिता के नाम प्रतापराम के स्थान पर चुतराराम एवं वादी संख्या 6 बाबूलाल के सम्बंध में दर्ज नाबालिग की प्रविष्टि दुरुस्त कर बालिग दर्ज करवाने एवं खाता नम्बर 332 पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 337 में वादी संख्या 1 गोकलराम के पिता का नाम ढाडूराम के स्थान पर भगवानराम तथा खाता संख्या 358 पर दर्ज खसरा नम्बर 343 में वादी संख्या 13 ओगडराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर अणदाराम पुत्र मिसाराम तथा वादी संख्या 12 का नाम मानाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर मलाराम पुत्र मिसाराम तथा खाता संख्या 359 खसरा नम्बर 334 में वादी संख्या 1 का नाम गोपालराम पुत्र ढाडूराम के स्थान पर गोकलराम पुत्र भगवानराम तथा वादी संख्या 10 शंकरराम का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम शंकरलाल के स्थान पर शंकरराम दर्ज करवाने एवं खाता संख्या 298 पर वादी संख्या 12 का नाम दुरुस्त कर मलाराम पुत्र मिसाराम एवं खाता संख्या 10 में दर्ज हवली पुत्री तुलछाराम के स्थान पर हवली पत्नी तुलछाराम घोषित किया जाता है। ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 337, 274, 69/3 कुल खसरा 3 रकबा क्रमशः 0.6472, 0.2244, 0.6472 हैक्टे., कुल रकबा 1.5188 हैक्टे., बाबुलाल पुत्र श्री चुतराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 491/2, 462/2, 274, 70, 69 कुल खसरा 5 रकबा क्रमशः 0.3883, 0.2278, 0.2993, 0.9182, 0.8090 हैक्टे., कुल रकबा 2.6426 हैक्टे., रतनाराम पुत्र श्री जसाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 491/2, 462/2, 346, 349, 274, 70 कुल खसरा 6 रकबा क्रमशः 0.3883, 0.2279, 0.8171, 0.5137, 0.2994, 0.2022 हैक्टे., कुल रकबा 2.4486 हैक्टे., श्रवणराम पुत्र



जसाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 491/2, 462/2, 274, 63/1, 63 कुल खसरा 5 रकबा क्रमशः 0.3884, 0.2279, 0.2994, 0.9708, 0.7686 हैक्टे., कुल रकबा 2.6551 हैक्टे., नेनाराम पुत्र जसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/5, 483, 490, 490/1, 343, 346, 349, 150/3, 69/3 कुल खसरा 9 रकबा क्रमशः 0.3640, 0.3964, 0.3883, 0.3843, 0.7564, 0.8171, 0.1284, 0.1618, 0.6472 हैक्टे., कुल रकबा 4.0439 हैक्टे., शंकरराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/5, 491/20, 334, 337, 69/1 कुल खसरा 5 रकबा क्रमशः 0.9978, 0.8090, 0.6330, 0.8495, 0.7012 हैक्टे., कुल रकबा 3.9905 हैक्टे., मलाराम पुत्र मिसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 4/5 भंवराई पत्नी मलाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 1/5 के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/2, 492/6, 491/3, 334, 337, 141, 272, 69/2 कुल खसरा 8 रकबा क्रमशः 0.8090, 0.4045, 1.0113, 0.6330, 0.4046, 1.0678, 0.3843, 0.7726 हैक्टे., कुल रकबा 5.4871 हैक्टे., गोकलराम पुत्र भगवानराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/2, 337, 141, 272, 268/3, 69 कुल खसरा 6 रकबा क्रमशः 0.8090, 0.8696, 0.4045, 0.1922, 0.3236, 0.6472 हैक्टे., कुल रकबा 3.2461 हैक्टे., उदाराम पुत्र तुलछाराम 8/9, दरकी पत्नी उदाराम 1/9 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/2, 337, 141, 272, 268/3, 63/2 कुल खसरा 6 रकबा क्रमशः 0.8090, 0.8696, 0.4046, 0.1921, 0.3236, 0.4854 हैक्टे., कुल रकबा 3.0843 हैक्टे., जगाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार (खातेदार इमरती पुत्र तुलछाराम फौत) के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 274 रकबा 0.2247 हैक्टे., पतासी पत्नी चुतराराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार) के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 276/1, 63/1 कुल खसरा 2 रकबा क्रमशः 0.5663, 0.9708 हैक्टे., कुल रकबा 1.5371 हैक्टे., भानाराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/12, 492/5, 334, 337, 349, 63, 69/1 कुल खसरा 7 रकबा क्रमशः 0.6472, 0.3505, 0.6332, 0.6472, 0.2568, 1.1326, 0.7011 हैक्टे., कुल रकबा 4.3686 हैक्टे., अणदाराम पुत्र मिसाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/5, 483/1, 334, 63, 69/1 कुल खसरा 5 रकबा क्रमशः 0.9979, 0.7928, 0.6330, 1.1326, 0.7011 हैक्टे., कुल रकबा 4.2574 हैक्टे., प्रेमराम पुत्र रखाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार (खातेदार रखाराम



पुत्र मिसाराम फौत के कायम मुकाम) के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 274, 70 कुल खसरा 2 रकबा क्रमशः 0.2244, 1.1205 हैक्टे., कुल रकबा 1.3449 हैक्टे., प्रतापराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 462/2, 274, 69 कुल खसरा 3 रकबा क्रमशः 0.6836, 0.2244, 0.8090 हैक्टे., कुल रकबा 1.7170 हैक्टे., रामाराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 492/5, 483, 490, 490/1, 343, 346, 349, 150/3, 69/2 कुल खसरा 9 रकबा क्रमशः 0.3640, 0.3964, 0.3883, 0.3843, 0.7564, 0.8171, 0.1285, 0.1618, 0.77226 हैक्टे., कुल रकबा 4.1694 हैक्टे., रामसुख पुत्र पुकाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 268/3 रकबा 0.3236 हैक्टे हवली पत्नी तुलछाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा होने से बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नहीं करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

W.L. Singh  
(मुदला शेखावत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3/7/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		



नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



WCLL 31/7/27  
 (मृदुला शेखावत)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पंजाब